

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :-

प०सं०-14/डी०एल०ए०, कटिहार (सं० सं०)-200/2013-२४४६/रा०, पटना-15, दिनांक-12/12/2013

संख्या- भू-अर्जन, कटिहार

दिनांक-

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मौजा रामपुर थाना नं० 75 थाना कटिहार जिला कटिहार के अन्तर्गत मुख्यमंत्री सड़क से राजवंशी टोला के मुसहरी टोला तक सम्पर्क सड़क निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम रामपुर थाना नं० 75 के भीतर एक भू-खण्ड अपेक्षित है जो मानक माप से कर्मावेश 0.18 एकड़ (अठारह डिसमल) के बराबर होता है, जिसका खेसरा सं० 843 का अंश और जिसका चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

उत्तर :- मौजा रामपुर थाना नं० 75 का सर्वे खेसरा नं० 830
पूरब :- मौजा रामपुर थाना नं० 75 का सर्वे खेसरा नं० 844,847
दक्षिण :- मौजा रामपुर थाना नं० 75 का सर्वे खेसरा नं० 878
पश्चिम :- मौजा रामपुर थाना नं० 75 का सर्वे खेसरा नं० 843

यह अधिसूचना बिहार अधिनियम 11, 1961 द्वारा (यथा संशोधित) अधिनियम 1-1984 की धारा -4 के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्सा भू-अर्जन पदाधिकारी, कटिहार के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार भू-अर्जन पदाधिकारी, कटिहार और उनके कर्मचारी तथा इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे सम्बन्धित अंचल पदाधिकारी एवं उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करता है कि भूमि में प्रवेश कर भूमि का सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्यों के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति तामिला होने के 30(तीस) दिनांक भीतर धारा 5 (क) के अन्तर्गत हित सम्बन्धी व्यक्ति द्वारा उक्त अधिनियम के अधिन समाहर्ता कटिहार के समक्ष (भू-अर्जन पदाधिकारी कटिहार के कार्यालय में) दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी आपत्तियों पर विचार किया जायगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

६०

सरकार के अवर सचिव

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
कटिहार

उपर समाहर्ता
कटिहार

बुन्द
समाहर्ता
कटिहार

ज्ञापक.....२४४६/२७५/भू-अर्जन दिनांक-12-12-13

- प्रतिलिपि:- निदेशक, भू-अर्जन, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, बिहार पटना को सूचनार्थ। उनसे अनुरोध है कि दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशनोपरान्त प्रकाशन सूचना जिला भू-अर्जन कटिहार को दी जाय।
प्रतिलिपि:- उप समाहर्ता प्रभारी, जिला गजट प्रशाखा, कटिहार को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनोपरान्त 5-5 प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार/अंचल पदाधिकारी, हसनगंज/मुखिया ग्राम पंचायत राज हसनगंज को सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- अधियाची पदाधिकारी को सूचनार्थ।
प्रतिलिपि:- हितवद्द रैयतों को सूचनार्थ प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव